



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-822/ 2403

नया रायपुर, दिनांक 29/12/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Jashpur Division "Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 4.245 ha. regarding.

- संदर्भ:-**
- छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ - 5-04/ 2020/ 10-2 दिनांक 09.11.2020
 - मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्र/मा.चि./न. क्र.-128/ 2020/ 2083 दिनांक 17.12.2020
- * * * * *

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र -1 माध्यम से प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	आवश्यक जानकारी	पालन प्रतिवेदन
1	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक में आवेदक विभाग का मांग पत्र संबंधी चेक लिस्ट क्रमांक-1 की जानकारी प्रदाय की गई है। उक्त चेक लिस्ट क्रमांक-01 में आवेदक विभाग का मांग पत्र संबंधी विवरण स्पष्ट नहीं है।	आवेदक विभाग का संशोधित मांग पत्र संलग्न है। परिशिष्ट -1
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक- 26 से 31 में आवेदक वनमंडलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र-3) प्रदाय किया गया है। जिसमें बिन्दु क्रमांक -12 में यह जानकारी दिया जाना है कि आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है या नहीं ? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण देंगे। इसके समक्ष उत्तर स्वरूप वनमंडलाधिकारी द्वारा निरंक लेख किया गया है जो सही नहीं है। उत्तर हाँ अथवा नहीं में होना चाहिए। अतः वनमंडलाधिकारी से संशोधित प्रपत्र -3 प्राप्त कर प्रेषित करें।	वन मंडल अधिकारी का संशोधित प्रपत्र -3 संलग्न है। परिशिष्ट -2
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक- 33 के बिन्दु क्रमांक -3 में Details of displacement of people due to the project if any ? के संबंध में जानकारी प्रदाय की जानी है। इसके समक्ष उत्तर स्वरूप NIL लेख किया	जशपुर जिला के जशपुर वनमंडल क्षेत्रांतर्गत ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली मार्गों के सीमा के अंतर्गत उनके मौजूदा राईट -ऑफ-वे का अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य

	गया है। कृपया इसके संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रदाय करें।	प्रस्तावित है। आवेदित वन भूमि में कोई परिवार निवासरत नहीं है अथवा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है जिससे उन्हें विस्थापित करना पड़े। अतः इस जानकारी स्वरूप NIL लेख किया गया है। परिशिष्ट -3
4	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक- 1,3,9,10,11,48,50,53 तथा पृष्ठ क्रमांक-56 एवं 58 में प्रदायित दस्तावेज में जशपुर के स्थान पर जषपुर लेख किया है। कृपया उक्तानुसार प्रस्ताव में जशपुर शब्द के Spelling को संशोधित कर प्रेषित करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव के उक्त पृष्ठों में टंकण त्रुटिवश जशपुर के स्थान पर जषपुर हो गया है। 1,3,9,10,11,48,50,53 तथा पृष्ठ क्रमांक-56 को संशोधित कर प्रेषित है। पृष्ठ क्रमांक 58 प्रस्ताव में नहीं है। परिशिष्ट -4

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- संदर्भित पत्र एवं जानकारी (20 पृष्ठीय)


(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 830/ 2404
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

रायपुर, दिनांक 29/12/2020

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, जशपुर वन मंडल, जशपुर, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
o/c छत्तीसगढ़